उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2
संख्या- 448/2026/914(1)/2026/27-2002-199-2026-2
लखनऊ :: दिनांक 02 जून, 2026

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-357/2026/914/2026/27-2002/199/2026-2 दिनांक 25.05.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में गंगा नदी के बाये तट पर स्थित ग्राम समूह शेरपुर-सेमरा के मजरा मुबारकपुर एवं केवट बस्ती के सुरक्षार्थ कटाव निरोधक कार्य की परियोजना (लागत रू0 894.66 लाख) पर धनराशि रू0 447.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त आदेश की तालिका के कॉलम सं0-12 में अंकित अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि ''रू0 447.00 लाख'' के स्थान पर धनराशि ''रू0 447.700 लाख'' अंकित हो गयी है।

अत: उक्त आदेश की तालिका के कॉलम सं0-12 में अंकित अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि ''रू0 447.700 लाख'' के स्थान पर धनराशि ''रू0 447.00 लाख'' पढ़ा जाये एवं शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) प्रमुख अभियन्ता(परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(7) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(8) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(13) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(14) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(15) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in